भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2287

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति

†2287. प्रो. सौगत रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी राज्य चिकित्सा परिषद ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को फार्माकोलॉजी में एक वर्षीय ब्रिज कोर्स के साथ एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या रुख है,
(ग) होम्योपैथिक चिकित्सकों को अपनी स्वयं की होम्योपैथी परिषद होने के बावजूद राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण की अनुमति देने के क्या कारण हैं,
(घ) क्या सरकार चिकित्सा मानकों के क्षरण और अनियमित एवं अनियंत्रित चिकित्सा पद्धतियों के कारण होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों से अवगत है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए आधुनिक औषध विज्ञान (सीसीएमपी) में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिससे वे केवल आवश्यकता पड़ने पर और सीसीएमपी पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की सीमा तक ही रोगियों को एलोपैथिक उपचार प्रदान कर सकेंगे। महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद को सीसीएमपी पूरा करने वाले चिकित्सकों के लिए एक अलग रजिस्टर रखना होगा। चिकित्सक को होम्योपैथी परिषद में भी पंजीकृत होना होगा।

*****